

**RAJASTHAN STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INVESTMENT  
CORPORATION LTD., UDYOG BHAWAN, TILAK MARG, JAIPUR.**

No.: Sr. DGM /Tech./Agenda/659

Date : 19 August, 2015

**CIRCULAR**

**Sub.: Erection of Ground Based Mast (GBMs) in RIICO Industrial Areas  
(including transferred industrial areas).**

Terms & Conditions and parameters for permitting laying of OFC cable including erection of Ground Base Mast (GBMs) in RIICO Industrial Areas (Including the transferred industrial areas) have been issued vide office order No. Sr. DGM/Tech/Agenda/107 dated 04 March, 2014 with subsequent amendments by different office orders.

It has now been decided that prior to permitting the service provider for erection of GBM, objection shall be invited after finalization of the location by constituted committee. The same are to be invited by uploading on RIICO website, the format of which is enclosed at Annexure 'A'.

For knowledge and information of general public / entrepreneurs, initially a press note apprising about the above procedure is being published (Annexure 'B').

In view of above all the Unit Heads are enjoined upon that they should ensure the timely attending of objections, if any.



(A.K. Agarwal)

General Manager (Civil)

Annexure - 'A'

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लि०  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर : 302005

क्रमांक : 659

दिनांक : 19 अगस्त, 2015

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रीको औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कम्पनियों द्वारा निम्न स्थानों पर 4G जीबीएम टॉवर लगाने की स्वीकृति चाही गई है। निम्न स्थानों के 75 मीटर दायरे में रहने वाले अगर किसी व्यक्ति/संस्था/ कॉलोनिवासियों/उद्यमियों को कोई आपत्ति हो तो प्रमाण सहित सम्बन्धित इकाई कार्यालय में 7 दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उक्त कम्पनी को टॉवर लगाने की स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

क्र. स.	रीको के इकाई कार्यालय का नाम	औद्योगिक क्षेत्र	स्थल का विवरण

महाप्रबन्धक (सिविल)

Annexure - 'B'

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लि०  
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर : 302005

क्रमांक : 659

दिनांक : 19 अगस्त, 2015

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रीको औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कम्पनियों द्वारा 4G जीबीएम टॉवर लगाने की स्वीकृति समय-समय पर चाही जाती है। अगर किसी व्यक्ति/संस्था/कॉलोनिवासियों/उद्यमियों को कोई आपत्ति हो तो प्रमाण सहित सम्बन्धित इकाई कार्यालय में 7 दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त कम्पनी को टॉवर लगाने की स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। सूची का सम्पूर्ण विवरण रीको की वेबसाईट [www.riico.co.in](http://www.riico.co.in) पर देखा जा सकेगा तथा भविष्य में सक्षम समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर दी जाने वाली स्वीकृति से पूर्व लोकेशन का विवरण वेबसाईट [www.riico.co.in](http://www.riico.co.in) पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिसके अनुसार अग्रिम सूचना वेबसाईट पर समय-समय पर देखी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (सिविल)